न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/0618

मइयादीन तनय मुलुवा अहीर (फौत) वारसान

1. श्रीमती श्यामबाई पत्नी स्व. श्री मइयादीन
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री मइयादीन
3. प्रवेश पुत्र स्व. श्री मइयादीन यादव

समस्त निवासीगण राजनगर तहसील राजनगर तहसील छतरपुर म.प्र.

.... आवेदकगण

बनाम

1. मुकुन्दी तनय मुलुवा अहीर निवासी ग्राम राजनगर मौहल्ला फौजदार वार्ड क्रमांक 4 तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.
2. म.प्र. शासन

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1100अ-3/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2017 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ललगुंवा में स्थित भूमि खसरा नं. 5/1 , 7, 8/2, 38/1 के तरमीम हेतु एक आवेदन पत्र अनावेदक मुकुन्दी द्वारा तहसीलदार राजनगर के न्यायालय मे प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार द्वारा अपने न्यायालय में प्रकरण क्रमांक

श्री विनोद श्रीवास्तव द्वारा आज दि. 22-1-018 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8-2-018 नियत।

रीडर ऑफ कोर्ट 22-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/छतरपुर/भू0रा0/2018/0618 **जिला** – छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08.02.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव एवं अना0 क0 2 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण नक्शा तरमीम का है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रकिया का पालन करते हुए सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने की है। प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें प्रथम दृष्टया कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	